राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1826/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मै0 राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम जयपुर व सीटीओ, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, द्वितीय–जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/2018	**खण्डपीठ** **राजीव चौधरी, सदस्य** **मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन के बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील, अपीलीय प्राधिकारी प्रथम–वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.12.2017**, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, द्वितीय–जयपुर** (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **28.03.2017**, जो कि अधिनियम की धारा 23 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिये पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कुल मांग राशि रू0 **94,86,120/–** में से बकाया मांग राशि **रू. 34,86,120/–**, की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए रू0 3537349/– की आईटीसी को रिर्वस किया गया व राशि रू0 4122000/– के समायोजन को अमान्य कर दिया गया । इसके अतिरिक्त इस राशि पर रू0 2228615/– का ब्याज का आरोपण किया गया तथा ब्याज के पेटे जमा कराई गई राशि 258258/– को जब्त कर लिया गया। इसके विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कुल राशि रू0 9486120/– में से रू0 60,00,000/– पर रोक स्वीकार कर शेष स्थगन अस्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर रू0 3486120/– की राशि को स्थगन करने हेतु यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई है। उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा रू0 3537349/– की आईटीसी की मांग की गई जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण रिर्वस कर दिया गया व राशि रू0 4122000/– के समायोजन को भी बिना किसी कारण अमान्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस राशि पर रू0 22,28,615/– का ब्याज का आरोपण किया गया तथा ब्याज के पेटे जमा कराई गई राशि 258258/– को जब्त कर लिया गया। अपीलीय अधिकारी प्रकरण के तथ्यों को ध्यान दिये 27/02/18 लगातार.....2.	

बिना व बिना किसी विधिक आधार के कुल राशि रू0 9486120/– में से रू0 60,00,000/– पर रोक स्वीकार कर शेष स्थगन अस्वीकार किया गया।

जबकि अपीलार्थी द्वारा सभी संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों मे दर्शाया गया है तथा तद्नुसार ही आईटीसी का क्लेम किया किया गया है जिस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मिथ्या या गलत साबित नहीं किया गया हैं। व अपीलीय अधिकारी द्वारा भी बिना कोई कारण अंकित किये स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः सुविधा का संतुलन व विधिक बिन्दु निहित होने से प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर बकाया मांग राशि की मांग को अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया।

राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन अपीलार्थी की अपेक्षा विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा संविदा कार्य में प्रयुक्त सामग्री हेतु आईटीसी का क्लेम किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। व टीडीएस का भी समायोजन भी अस्वीकार किया जाकर, ब्याज का आरोपण किया गया व ब्याज पेटे जमा कराई गई राशि भी जब्त कर ली गई। अतः किन्तु प्रकरण के इस प्रक्रम (stage) पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रकरण/अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु लम्बित है जिसका गुणावगुण पर निस्तारण होना है। अतः बकाया मांग की राशि की वसूली पर रोक के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व्यवहारी अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत प्रकरण में बकाया मांग राशि **रू0 34,86,120/–** की वसूली पर अपील निर्णय होने तक इस शर्त के साथ रोक लगायी जाती है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे तथा अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण का 3 माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

आदेश सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

27/02/18
सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर